बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0स0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-जिला अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन), बिहार

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**
(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च,2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।
(3) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का पत्र सं0-16-3/सी0सी0डी0/2018 दि0-31.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ प्रदान करते हुए आपका ध्यान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 (**COVID-19**) के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को जारी किए गए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों एवं इसी संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विदित हो कि भारत सरकार ने कोविड19 (**COVID-19**) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में पत्रांक-744 दिनांक-24.03.2020 तथा पत्रांक-748 दिनांक-07.04.2020 भी प्रेषित करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस अवधि के दौरान लगातार विविध स्तरों/विषयों/ विषय विशेषज्ञों/प्रशासनिक स्तरों पर वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में विशिष्ट मामलों को हल किए जाने का प्रयास किया गया है।

बिहार के विभिन्न हिस्सों से सैंकड़ों की संख्या में दिव्यांगजनों की शिकायत हेल्पलाइन नं0-8448-385590, ई-मेल, फोन, मोबाइल मैसेज एवं व्हास्टऐप के माध्यम से आ रही है। ज्यादातर समस्या राशन, पेंशन एवं पुनर्वास से सम्बन्धित है।

कृ0पृ0उ0............

संपादित विविध वीडियों कॉफ्रेंसिंग, दूरभाष माध्यम से कार्यालय के टेलीफॉन व अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल व कार्यालय के हेल्पलाइन नम्बर पर प्राप्त शिकायतों पर सम्यक विचारोंपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोविड19 **(COVID-19)** की वजह से वर्तमान में जारी लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों से सम्बद्ध विशिष्ट मामलों के जानकारी सम्यक निष्पादन हेतु वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सुनवाई की तिथि दिनांक-25.04.2020, समय पूर्वा0 11:00 बजे अप0 02:00 बजे तक निर्धारित की जा रही है। इस सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन निम्न प्रक्रियानुरूप अपनी शिकायते वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

(1) दिव्यांगजन/दिव्यांगजन संघ लिखित शिकायत की प्रति संलग्न करते हुए अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से कार्यालय के ई-मेल **scdisability2008@gmail.com** अथवा अधोहस्ताक्षरी के ब्हाटस्ऐप नम्बर **7004710584** पर रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन करेंगे।

(2) सुनवाई की निर्धारित तिथि को नियत समय से पूर्व उन्हें अधोहस्ताक्षरी से जुड़ने के लिए आवश्यक कोड विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की पृच्छा का जबाव दे सकेंगे।

दिव्यांगजनों के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में प्रत्येक जिले के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अपने जिले के सम्बन्ध में नोडल पदाधिकारी के रूप में भाग लेंगे।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को दिव्यांगजनों के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग **(Google Meet/Hangout/अन्य)** के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-दिव्यांगता प्रक्षेत्र कार्यरत व इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग **(Google Meet/Hangout/अन्य)** के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों एवं जिला दिव्यांगजन अभिभावक समूहों के प्रतिनिधि तथा दिव्यांगजन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग **(Google Meet/Hangout/अन्य)** के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ० नि०को० दिनांक-21 अप्रैल'2020

प्रतिलिपिः-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

21.04.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21...अप्रैल 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-762/आ0नि0को0 दिनांक-21...अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

21.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।